



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 50] नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 05, 2019/माघ 16, 1940
No. 50] NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 05, 2019/MAGHA 16, 1940

भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् के अधिक्रमण में शासी बोर्ड

संशोधन अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 फरवरी, 2019

सं. भा.आ.प.-34(41)/2018-मेडि./170042.—भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 (1956 का 102) की धारा 33 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए, “प्रतिवर्ष एम.बी.बी.एस. में 50 दाखिलों के लिए न्यूनतम शर्तें विनियमावली, 1999” में पुनः संशोधन करने हेतु भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद्, केंद्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से एतद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाती है, नामतः:-

1. (i) इन विनियमों को “प्रतिवर्ष एम.बी.बी.एस. में 50 दाखिलों के लिए न्यूनतम शर्तें विनियमावली, (संशोधन) 2018” कहा जाएगा।

(ii) ये, सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. “प्रतिवर्ष एम.बी.बी.एस. में 50 दाखिलों के लिए न्यूनतम शर्तें विनियमावली, 1999” में निम्नलिखित अधिवर्धन/संशोधन/विलोप/प्रतिस्थापन इसमें दर्शाए गए अनुसार किए जाएंगे:-

3. खंड ख.1.1, के पश्चात, निम्नलिखित “टिप्पणी” जोड़ी जाएगी :-

टिप्पणी: “विस्तर अधिभाग (अन्तरंग रोगी) और बहिरंग रोगी विभाग उपस्थिति में 5% की सीमा तक छूट, इस शर्त के अधीन प्रदान की जा सकती है कि पिछले तीन महीने के मूल्यांकन की तारीख के अनुसार तीन तदनुसूची तारीखों पर विस्तर अधिभाग और बहिरंग रोगी विभाग उपस्थिति, लागू होने वाले मापदंडों के अनुसार हैं।”

4. खंड ख.1.7, के पश्चात, निम्नलिखित “टिप्पणी” जोड़ी जाएगी :-

टिप्पणी: “विस्तर अधिभाग (अन्तरंग रोगी) और बहिरंग रोगी विभाग उपस्थिति में 5% की सीमा तक छूट, इस शर्त के अधीन प्रदान की जा सकती है कि पिछले तीन महीने के मूल्यांकन की तारीख के अनुसार तीन तदनुसूची तारीखों पर विस्तर अधिभाग और बहिरंग रोगी विभाग उपस्थिति, लागू होने वाले मापदंडों के अनुसार हैं।”

5. खंड ख.1.8, के पश्चात, निम्नलिखित “टिप्पणी” जोड़ी जाएगी :-

टिप्पणी: “बिस्तर अधिभोग (अन्तरंग रोगी) और बहिरंग रोगी विभाग उपस्थिति में 5% की सीमा तक छूट, इस शर्त के अधीन प्रदान की जा सकती है कि पिछले तीन महीने के मूल्यांकन की तारीख के अनुसार तीन तदनुसूची तारीखों पर बिस्तर अधिभोग और बहिरंग रोगी विभाग उपस्थिति, लागू होने वाले मापदंडों के अनुसार हैं।”

6. 50 दाखिलों के लिए “भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 की धारा 10-क के अंतर्गत नये मेडिकल कालेजों की स्थापना और वार्षिक नवीकरणों के लिए आशय पत्र और अनुमति पत्र प्राप्त करने हेतु आवेदक कालेजों द्वारा पूरी की जाने वाली चरण-वार शर्तों” में, प्रथम सारणी के पश्चात निम्नलिखित “टिप्पणी” जोड़ी जाएगी :-

टिप्पणी: “बिस्तर अधिभोग (अन्तरंग रोगी) और बहिरंग रोगी विभाग उपस्थिति में 5% की सीमा तक छूट, इस शर्त के अधीन प्रदान की जा सकती है कि पिछले तीन महीने के मूल्यांकन की तारीख के अनुसार तीन तदनुसूची तारीखों पर बिस्तर अधिभोग और बहिरंग रोगी विभाग उपस्थिति, लागू होने वाले मापदंडों के अनुसार हैं।”

डॉ. संजय श्रीवास्तव, महासचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./526/18]

पाद टिप्पणी : प्रधान विनियमावली, नामतः “प्रतिवर्ष एम.बी.बी.एस. में 50 दाखिलों के लिए न्यूनतम शर्तें विनियमावली, 1999” भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् की दिनांक 30 मार्च, 1999 की अधिसूचना संख्या 35(1)/1998-मेड. (ii) के अंतर्गत दिनांक 29 अप्रैल 1999 को भारत के राजपत्र के भाग III, खंड 4 में प्रकाशित की गई थी और इसे भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् की दिनांक 20.10.2008, 01.12.2008, 13.11.2009, 18.01.2010, 30.01.2010, 26.02.2010, 17.09.2010, 03.11.2010, 18.03.2014, 01.07.2015, 27.01.2017, 09.03.2017, 23.08.2017 और 22.01.2018 की अधिसूचनाओं के अंतर्गत संशोधित किया गया था।

BOARD OF GOVERNORS IN SUPER-SESSION OF MEDICAL COUNCIL OF INDIA

AMENDMENT NOTIFICATION

New Delhi, the 4th February, 2019

No. MCI-34(41)/2018-Med./170042.—In exercise of the powers conferred by Section 33 of the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956), the Medical Council of India with the previous sanction of the Central Government, hereby makes the following Regulations to further amend the “Minimum Requirement for 50 MBBS Admissions Annually Regulation, 1999”, namely: -

1. (i) These Regulations may be called the “Minimum Requirement for 50 MBBS Admissions Annually Regulation, 2018”.
- (ii) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the “Minimum Requirement for 50 MBBS Admissions Annually Regulation, 1999”, the following additions/modifications/deletions/substitutions, shall be, as indicated therein: -
3. After Clause B.1.1., following “Note” shall be added as under:-
Note: “Relaxation up to an extent of 5% in bed occupancy (Indoor patients) and OPD attendance may be allowed, subject to the condition that the bed occupancy and OPD attendance on three corresponding dates as per date of assessment of preceding three months is in accordance with the applicable norms.”
4. After Clause B.1.7, following “Note” shall be added as under:-
Note: “Relaxation up to an extent of 5% in bed occupancy (Indoor patients) and OPD attendance may be allowed, subject to the condition that the bed occupancy and OPD attendance on three corresponding dates as per date of assessment of preceding three months is in accordance with the applicable norms.”
5. After Clause B.1.8, following “Note” shall be added as under:-
Note: “Relaxation up to an extent of 5% in bed occupancy (Indoor patients) and OPD attendance may be allowed, subject to the condition that the bed occupancy and OPD attendance on three corresponding dates as per date of assessment of preceding three months is in accordance with the applicable norms.”

6. In the “Phase wise Requirements to be fulfilled by the Applicant Colleges for obtaining Letter of Intent and Letter of Permission for Establishment of the new Medical Colleges and Yearly Renewals under Section 10-A of the Indian Medical Council Act, 1956” for 50 admissions, the following “Note” shall be added after the first table as under:-

Note: “Relaxation up to an extent of 5% in bed occupancy (Indoor patients) and OPD attendance may be allowed, subject to the condition that the bed occupancy and OPD attendance on three corresponding dates as per date of assessment of preceding three months is in accordance with the applicable norms.”

Dr. SANJAY SHRIVASTAVA, Secy. General

[ADVT. -III/4/Exty./526/18]

Foot Note: The Principal Regulations namely, “Minimum Requirement for 50 MBBS Admissions Annually Regulation, 1999” were published in Part III, Section 4 of the Gazette of India on the 29th April 1999, vide Medical Council of India Notification No.35(1)/1998-Med. (ii) dated the 30th March, 1999 and further amended vide MCI notification dated 20 October 2008, 1st December 2008, 13 November 2009, 18 January 2010, 30 January 2010, 26 February 2010, 17 September 2010, 3 November 2010, 18 March 2014, 01 July 2015, 27 January 2017, 9 March 2017, 23 August 2017 & 22 January, 2018.

संशोधन अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 फरवरी, 2019

सं. भा.आ.प.-34(41)/2018-मेडि./170042.—भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 (1956 का 102) की धारा 33 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए, “प्रतिवर्ष एम.बी.बी.एस. में 100 दाखिलों के लिए न्यूनतम शर्तें विनियमावली, 1999” में पुनः संशोधन करने हेतु भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद्, केंद्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से एतद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाती है, नामतः:-

- (i) इन विनियमों को “प्रतिवर्ष एम.बी.बी.एस. में 100 दाखिलों के लिए न्यूनतम शर्तें विनियमावली, (संशोधन 2018)” कहा जाएगा।
(ii) ये, सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
- “प्रतिवर्ष एम.बी.बी.एस. में 100 दाखिलों के लिए न्यूनतम शर्तें विनियमावली, 1999” में निम्नलिखित अधिवर्धन/संशोधन/विलोप/प्रतिस्थापन इसमें दर्शाए गए अनुसार किए जाएंगे:-
- खंड ख.1.1, के पश्चात, निम्नलिखित “टिप्पणी” जोड़ी जाएगी :-
टिप्पणी: “विस्तर अधिभोग (अन्तरंग रोगी) और बहिरंग रोगी विभाग उपस्थिति में 5% की सीमा तक छूट, इस शर्त के अधीन प्रदान की जा सकती है कि पिछले तीन महीने के मूल्यांकन की तारीख के अनुसार तीन तदनुसूची तारीखों पर विस्तर अधिभोग और बहिरंग रोगी विभाग उपस्थिति, लागू होने वाले मापदंडों के अनुसार हैं।”
- खंड ख.1.7, के पश्चात, निम्नलिखित “टिप्पणी” जोड़ी जाएगी :-
टिप्पणी: “विस्तर अधिभोग (अन्तरंग रोगी) और बहिरंग रोगी विभाग उपस्थिति में 5% की सीमा तक छूट, इस शर्त के अधीन प्रदान की जा सकती है कि पिछले तीन महीने के मूल्यांकन की तारीख के अनुसार तीन तदनुसूची तारीखों पर विस्तर अधिभोग और बहिरंग रोगी विभाग उपस्थिति, लागू होने वाले मापदंडों के अनुसार हैं।”
- खंड ख.1.8, के पश्चात, निम्नलिखित “टिप्पणी” जोड़ी जाएगी :-
टिप्पणी: “विस्तर अधिभोग (अन्तरंग रोगी) और बहिरंग रोगी विभाग उपस्थिति में 5% की सीमा तक छूट, इस शर्त के अधीन प्रदान की जा सकती है कि पिछले तीन महीने के मूल्यांकन की तारीख के अनुसार तीन तदनुसूची तारीखों पर विस्तर अधिभोग और बहिरंग रोगी विभाग उपस्थिति, लागू होने वाले मापदंडों के अनुसार हैं।”
- 100 दाखिलों के लिए “भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 की धारा 10-क के अंतर्गत नये मेडिकल कालेजों की स्थापना और वार्षिक नवीकरणों के लिए आशय पत्र और अनुमति पत्र प्राप्त करने हेतु आवेदक कालेजों द्वारा पूरी की जाने वाली चरण-वार शर्तें” में, प्रथम सारणी के पश्चात निम्नलिखित “टिप्पणी” जोड़ी जाएगी :-

टिप्पणी: “बिस्तर अधिभोग (अन्तरंग रोगी) और बहिरंग रोगी विभाग उपस्थिति में 5% की सीमा तक छूट, इस शर्त के अधीन प्रदान की जा सकती है कि पिछले तीन महीने के मूल्यांकन की तारीख के अनुसार तीन तदनुसूची तारीखों पर बिस्तर अधिभोग और बहिरंग रोगी विभाग उपस्थिति, लागू होने वाले मापदंडों के अनुसार हैं।”

डॉ. संजय श्रीवास्तव, महासचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./526/18]

पाद टिप्पणी : प्रधान विनियमावली, नामतः “प्रतिवर्ष एम.बी.बी.एस. में 100 दाखिलों के लिए न्यूनतम शर्तें विनियमावली, 1999” भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् की दिनांक 30 मार्च, 1999 की अधिसूचना संख्या 35(1)/1998-मेड. (ii) के अंतर्गत दिनांक 29 अप्रैल 1999 को भारत के राजपत्र के भाग III, खंड 4 में प्रकाशित की गई थी और इसे भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् की दिनांक 20.10.2008, 01.12.2008, 13.11.2009, 18.01.2010, 30.01.2010, 26.02.2010, 17.09.2010, 03.11.2010, 18.03.2014, 01.07.2015, 27.01.2017, 09.03.2017, 23.08.2017 और 22.01.2018 की अधिसूचनाओं के अंतर्गत संशोधित किया गया था।

AMENDMENT NOTIFICATION

New Delhi, the 4th February, 2019

No. MCI-34(41)/2018-Med./170042.—In exercise of the powers conferred by Section 33 of the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956), the Medical Council of India with the previous sanction of the Central Government, hereby makes the following Regulations to further amend the “Minimum Requirement for 100 MBBS Admissions Annually Regulation, 1999”, namely: -

1. (i) These Regulations may be called the “Minimum Requirement for 100 MBBS Admissions Annually Regulation, 2018”.
- (ii) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the “Minimum Requirement for 100 MBBS Admissions Annually Regulation, 1999”, the following additions/modifications/ deletions/substitutions, shall be, as indicated therein:-
3. After Clause B.1.1., following “Note” shall be added as under:-
Note: “Relaxation up to an extent of 5% in bed occupancy (Indoor patients) and OPD attendance may be allowed, subject to the condition that the bed occupancy and OPD attendance on three corresponding dates as per date of assessment of preceding three months is in accordance with the applicable norms
4. After Clause B.1.7, following “Note” shall be added as under:-
Note: “Relaxation up to an extent of 5% in bed occupancy (Indoor patients) and OPD attendance may be allowed, subject to the condition that the bed occupancy and OPD attendance on three corresponding dates as per date of assessment of preceding three months is in accordance with the applicable norms
5. After Clause B.1.8, following “Note” shall be added as under:-
Note: “Relaxation up to an extent of 5% in bed occupancy (Indoor patients) and OPD attendance may be allowed, subject to the condition that the bed occupancy and OPD attendance on three corresponding dates as per date of assessment of preceding three months is in accordance with the applicable norms.”
6. In the “Phase wise Requirements to be fulfilled by the Applicant Colleges for obtaining Letter of Intent and Letter of Permission for Establishment of the new Medical Colleges and Yearly Renewals under Section 10-A of the Indian Medical Council Act, 1956” for 100 admissions, the following “Note” shall be added after the first table as under:-
Note: “Relaxation up to an extent of 5% in bed occupancy (Indoor patients) and OPD attendance may be allowed, subject to the condition that the bed occupancy and OPD attendance on three corresponding dates as per date of assessment of preceding three months is in accordance with the applicable norms.”

Dr. SANJAY SHRIVASTAVA, Secy. General

[ADVT. -III/4/Exty./526/18]

Foot Note: The Principal Regulations namely, "Minimum Requirement for 100 MBBS Admissions Annually Regulation, 1999" were published in Part III, Section 4 of the Gazette of India on the 29th April 1999, vide Medical Council of India Notification No.35(1)/1998-Med. (ii) dated the 30th March, 1999 and further amended vide MCI notification dated 20 October 2008, 1st December 2008, 13 November 2009, 18 January 2010, 30 January 2010, 26 February 2010, 17 September 2010, 3 November 2010, 18 March 2014, 01 July 2015, 27 January 2017, 9 March 2017, 23 August 2017 & 22 January, 2018.

संशोधन अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 फरवरी, 2019

सं. भा.आ.प.-34(41)/2018-मेडि./170042.—भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 (1956 का 102) की धारा 33 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए, "प्रतिवर्ष एम.बी.बी.एस. में 150 दाखिलों के लिए न्यूनतम शर्तें विनियमावली, 1999" में पुनः संशोधन करने हेतु भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद्, केंद्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से एतद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाती है, नामतः:-

1. (i) इन विनियमों को "प्रतिवर्ष एम.बी.बी.एस. में 150 दाखिलों के लिए न्यूनतम शर्तें विनियमावली, (संशोधन) 2018" कहा जाएगा।
(ii) ये, सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
2. "प्रतिवर्ष एम.बी.बी.एस. में 150 दाखिलों के लिए न्यूनतम शर्तें विनियमावली, 1999" में निम्नलिखित अधिवर्धन/संशोधन/विलोप/प्रतिस्थापन इसमें दर्शाए गए अनुसार किए जाएंगे:-
3. खंड ख.1.1, के पश्चात, निम्नलिखित "टिप्पणी" जोड़ी जाएगी :-
टिप्पणी: "बिस्तर अधिभोग (अन्तरंग रोगी) और बहिरंग रोगी विभाग उपस्थिति में 5% की सीमा तक छूट, इस शर्त के अधीन प्रदान की जा सकती है कि पिछले तीन महीने के मूल्यांकन की तारीख के अनुसार तीन तदनुसूची तारीखों पर बिस्तर अधिभोग और बहिरंग रोगी विभाग उपस्थिति, लागू होने वाले मापदंडों के अनुसार हैं।"
4. खंड ख.1.7, के पश्चात, निम्नलिखित "टिप्पणी" जोड़ी जाएगी :-
टिप्पणी: "बिस्तर अधिभोग (अन्तरंग रोगी) और बहिरंग रोगी विभाग उपस्थिति में 5% की सीमा तक छूट, इस शर्त के अधीन प्रदान की जा सकती है कि पिछले तीन महीने के मूल्यांकन की तारीख के अनुसार तीन तदनुसूची तारीखों पर बिस्तर अधिभोग और बहिरंग रोगी विभाग उपस्थिति, लागू होने वाले मापदंडों के अनुसार हैं।"
5. खंड ख.1.8, के पश्चात, निम्नलिखित "टिप्पणी" जोड़ी जाएगी :-
टिप्पणी: "बिस्तर अधिभोग (अन्तरंग रोगी) और बहिरंग रोगी विभाग उपस्थिति में 5% की सीमा तक छूट, इस शर्त के अधीन प्रदान की जा सकती है कि पिछले तीन महीने के मूल्यांकन की तारीख के अनुसार तीन तदनुसूची तारीखों पर बिस्तर अधिभोग और बहिरंग रोगी विभाग उपस्थिति, लागू होने वाले मापदंडों के अनुसार हैं।"
6. 150 दाखिलों के लिए "भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 की धारा 10-क के अंतर्गत नये मेडिकल कालेजों की स्थापना और वार्षिक नवीकरणों के लिए आशय पत्र और अनुमति पत्र प्राप्त करने हेतु आवेदक कालेजों द्वारा पूरी की जाने वाली चरण-वार शर्तें" में, प्रथम सारणी के पश्चात निम्नलिखित "टिप्पणी" जोड़ी जाएगी :-
टिप्पणी: "बिस्तर अधिभोग (अन्तरंग रोगी) और बहिरंग रोगी विभाग उपस्थिति में 5% की सीमा तक छूट, इस शर्त के अधीन प्रदान की जा सकती है कि पिछले तीन महीने के मूल्यांकन की तारीख के अनुसार तीन तदनुसूची तारीखों पर बिस्तर अधिभोग और बहिरंग रोगी विभाग उपस्थिति, लागू होने वाले मापदंडों के अनुसार हैं।"

डॉ. संजय श्रीवास्तव, महासचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./526/18]

पाद टिप्पणी : प्रधान विनियमावली, नामतः “प्रतिवर्ष एम.बी.बी.एस. में 150 दाखिलों के लिए न्यूनतम शर्तें विनियमावली, 1999” भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् की दिनांक 30 मार्च, 1999 की अधिसूचना संख्या 35(1)/1998-मेड. (ii) के अंतर्गत दिनांक 29 अप्रैल 1999 को भारत के राजपत्र के भाग III, खंड 4 में प्रकाशित की गई थी और इसे भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् की दिनांक 20.10.2008, 01.12.2008, 13.11.2009, 18.01.2010, 30.01.2010, 26.02.2010, 17.09.2010, 03.11.2010, 18.03.2014, 01.07.2015, 27.01.2017, 09.03.2017, 23.08.2017 और 22.01.2018 की अधिसूचनाओं के अंतर्गत संशोधित किया गया था।

AMENDMENT NOTIFICATION

New Delhi, the 4th February, 2019

No. MCI-34(41)/2018-Med./170042.—In exercise of the powers conferred by Section 33 of the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956), the Medical Council of India with the previous sanction of the Central Government, hereby makes the following Regulations to further amend the “Minimum Requirement for 150 MBBS Admissions Annually Regulation, 1999”, namely: -

1. (i) These Regulations may be called the “Minimum Requirement for 150 MBBS Admissions Annually Regulation, 2018”.
- (ii) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the “Minimum Requirement for 150 MBBS Admissions Annually Regulation, 1999”, the following additions/modifications/ deletions/substitutions, shall be, as indicated therein: -
3. After Clause B.1.1., following “Note” shall be added as under:-
Note: “Relaxation up to an extent of 5% in bed occupancy (Indoor patients) and OPD attendance may be allowed, subject to the condition that the bed occupancy and OPD attendance on three corresponding dates as per date of assessment of preceding three months is in accordance with the applicable norms
4. After Clause B.1.7, following “Note” shall be added as under:-
Note: “Relaxation up to an extent of 5% in bed occupancy (Indoor patients) and OPD attendance may be allowed, subject to the condition that the bed occupancy and OPD attendance on three corresponding dates as per date of assessment of preceding three months is in accordance with the applicable norms.”
5. After Clause B.1.8, following “Note” shall be added as under:-
Note: “Relaxation up to an extent of 5% in bed occupancy (Indoor patients) and OPD attendance may be allowed, subject to the condition that the bed occupancy and OPD attendance on three corresponding dates as per date of assessment of preceding three months is in accordance with the applicable norms.”
6. In the “Phase wise Requirements to be fulfilled by the Applicant Colleges for obtaining Letter of Intent and Letter of Permission for Establishment of the new Medical Colleges and Yearly Renewals under Section 10-A of the Indian Medical Council Act, 1956” for 150 admissions, the following “Note” shall be added after the first table as under:-
Note: “Relaxation up to an extent of 5% in bed occupancy (Indoor patients) and OPD attendance may be allowed, subject to the condition that the bed occupancy and OPD attendance on three corresponding dates as per date of assessment of preceding three months is in accordance with the applicable norms.”

Dr. SANJAY SHRIVASTAVA, Secy. General

[ADVT. -III/4/Exty./526/18]

Foot Note: The Principal Regulations namely, “Minimum Requirement for 150 MBBS Admissions Annually Regulation, 1999” were published in Part III, Section 4 of the Gazette of India on the 29th April 1999, vide Medical Council of India Notification No.35(1)/1998-Med. (ii) dated the 30th March, 1999 and further amended vide MCI notification dated 20 October 2008, 1st December 2008, 13 November 2009, 18 January 2010, 30 January 2010, 26 February 2010, 17 September 2010, 3 November 2010, 18 March 2014, 1 July 2015, 27 January 2017, 9 March 2017, 23 August 2017 & 22 January, 2018.

संशोधन अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 फरवरी, 2019

सं. भा.आ.प.-34(41)/2018-मेडि./170042.—भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 (1956 का 102) की धारा 33 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए, “प्रतिवर्ष एम.बी.बी.एस. में 200 दाखिलों के लिए न्यूनतम शर्तें विनियमावली, 1999” में पुनः संशोधन करने हेतु भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद्, केंद्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से एतद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाती है, नामतः:-

1. (i) इन विनियमों को “प्रतिवर्ष एम.बी.बी.एस. में 200 दाखिलों के लिए न्यूनतम शर्तें विनियमावली, (संशोधन) 2018” कहा जाएगा।

(ii) ये, सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. “प्रतिवर्ष एम.बी.बी.एस. में 200 दाखिलों के लिए न्यूनतम शर्तें विनियमावली, 1999” में निम्नलिखित अधिवर्धन/संशोधन/विलोप/प्रतिस्थापन इसमें दर्शाए गए अनुसार किए जाएंगे:-

3. खंड ख.1.1, के पश्चात, निम्नलिखित “टिप्पणी” जोड़ी जाएगी :-

टिप्पणी: “विस्तर अधिभोग (अन्तरंग रोगी) और बहिरंग रोगी विभाग उपस्थिति में 5% की सीमा तक छूट, इस शर्त के अधीन प्रदान की जा सकती है कि पिछले तीन महीने के मूल्यांकन की तारीख के अनुसार तीन तदनुसूची तारीखों पर विस्तर अधिभोग और बहिरंग रोगी विभाग उपस्थिति, लागू होने वाले मापदंडों के अनुसार हैं।”

4. खंड ख.1.7, के पश्चात, निम्नलिखित “टिप्पणी” जोड़ी जाएगी :-

टिप्पणी: “विस्तर अधिभोग (अन्तरंग रोगी) और बहिरंग रोगी विभाग उपस्थिति में 5% की सीमा तक छूट, इस शर्त के अधीन प्रदान की जा सकती है कि पिछले तीन महीने के मूल्यांकन की तारीख के अनुसार तीन तदनुसूची तारीखों पर विस्तर अधिभोग और बहिरंग रोगी विभाग उपस्थिति, लागू होने वाले मापदंडों के अनुसार हैं।”

5. खंड ख.1.8, के पश्चात, निम्नलिखित “टिप्पणी” जोड़ी जाएगी :-

टिप्पणी: “विस्तर अधिभोग (अन्तरंग रोगी) और बहिरंग रोगी विभाग उपस्थिति में 5% की सीमा तक छूट, इस शर्त के अधीन प्रदान की जा सकती है कि पिछले तीन महीने के मूल्यांकन की तारीख के अनुसार तीन तदनुसूची तारीखों पर विस्तर अधिभोग और बहिरंग रोगी विभाग उपस्थिति, लागू होने वाले मापदंडों के अनुसार हैं।”

6. 200 दाखिलों के लिए “भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 की धारा 10-क के अंतर्गत नये मेडिकल कालेजों की स्थापना और वार्षिक नवीकरणों के लिए आशय पत्र और अनुमति पत्र प्राप्त करने हेतु आवेदक कालेजों द्वारा पूरी की जाने वाली चरण-वार शर्तें” में, प्रथम सारणी के पश्चात निम्नलिखित “टिप्पणी” जोड़ी जाएगी :-

टिप्पणी: “विस्तर अधिभोग (अन्तरंग रोगी) और बहिरंग रोगी विभाग उपस्थिति में 5% की सीमा तक छूट, इस शर्त के अधीन प्रदान की जा सकती है कि पिछले तीन महीने के मूल्यांकन की तारीख के अनुसार तीन तदनुसूची तारीखों पर विस्तर अधिभोग और बहिरंग रोगी विभाग उपस्थिति, लागू होने वाले मापदंडों के अनुसार हैं।”

डॉ. संजय श्रीवास्तव, महासचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./526/18]

पाद टिप्पणी : प्रधान विनियमावली, नामतः “प्रतिवर्ष एम.बी.बी.एस. में 200 दाखिलों के लिए न्यूनतम शर्तें विनियमावली, 1999” भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् की दिनांक 30 मार्च, 1999 की अधिसूचना संख्या

35(1)/1998-मेड. (ii) के अंतर्गत दिनांक 29 अप्रैल 1999 को भारत के राजपत्र के भाग III, खंड 4 में प्रकाशित की गई थी और इसे भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् की दिनांक 20.10.2008, 01.12.2008, 13.11.2009, 18.01.2010, 30.01.2010, 26.02.2010, 17.09.2010, 03.11.2010, 18.03.2014, 01.07.2015, 27.01.2017, 09.03.2017, 23.08.2017 और 22.01.2018 की अधिसूचनाओं के अंतर्गत संशोधित किया गया था।

AMENDMENT NOTIFICATION

New Delhi, the 4th February, 2019

No. MCI-34(41)/2018-Med./170042.—In exercise of the powers conferred by Section 33 of the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956), the Medical Council of India with the previous sanction of the Central Government, hereby makes the following Regulations to further amend the “Minimum Requirement for 200 MBBS Admissions Annually Regulation, 1999”, namely: -

1. (i) These Regulations may be called the “Minimum Requirement for 200 MBBS Admissions Annually Regulation, 2018”.
- (ii) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the “Minimum Requirement for 200 MBBS Admissions Annually Regulation, 1999”, the following additions/modifications/ deletions/substitutions, shall be, as indicated therein: -
3. After Clause B.1.1., following “Note” shall be added as under:-
 Note: “Relaxation up to an extent of 5% in bed occupancy (Indoor patients) and OPD attendance may be allowed, subject to the condition that the bed occupancy and OPD attendance on three corresponding dates as per date of assessment of preceding three months is in accordance with the applicable norms
4. After Clause B.1.7, following “Note” shall be added as under:-
 Note: “Relaxation up to an extent of 5% in bed occupancy (Indoor patients) and OPD attendance may be allowed, subject to the condition that the bed occupancy and OPD attendance on three corresponding dates as per date of assessment of preceding three months is in accordance with the applicable norms.”
5. After Clause B.1.8, following “Note” shall be added as under:-
 Note: “Relaxation up to an extent of 5% in bed occupancy (Indoor patients) and OPD attendance may be allowed, subject to the condition that the bed occupancy and OPD attendance on three corresponding dates as per date of assessment of preceding three months is in accordance with the applicable norms.”
6. In the “Phase wise Requirements to be fulfilled by the Applicant Colleges for obtaining Letter of Intent and Letter of Permission for Establishment of the new Medical Colleges and Yearly Renewals under Section 10-A of the Indian Medical Council Act, 1956” for 200 admissions, the following “Note” shall be added after the first table as under:-
 Note: “Relaxation up to an extent of 5% in bed occupancy (Indoor patients) and OPD attendance may be allowed, subject to the condition that the bed occupancy and OPD attendance on three corresponding dates as per date of assessment of preceding three months is in accordance with the applicable norms.”

Dr. SANJAY SHRIVASTAVA, Secy. General

[ADVT. -III/4/Exty./526/18]

Foot Note: The Principal Regulations namely, “Minimum Requirement for 200 MBBS Admissions Annually Regulation, 1999” were published in Part III, Section 4 of the Gazette of India on the 29th April 1999, vide Medical Council of India Notification No.35(1)/1998-Med. (ii) dated the 30th March, 1999 and further amended vide MCI notification dated 20 October 2008, 1st December 2008, 13th November 2009, 18th January 2010, 30th January 2010, 26th February 2010, 17th September 2010, 3rd November 2010, 18th March, 2014, 01st July 2015, 27 January 2017, 09 March 2017, 23 August 2017 & 22 January, 2018.

संशोधन अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 फरवरी, 2019

सं. भा.आ.प.-34(41)/2018-मेडि./170042.—भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 (1956 का 102) की धारा 33 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए, “प्रतिवर्ष एम.बी.बी.एस. में 250 दाखिलों के लिए न्यूनतम शर्तें विनियमावली, 1999” में पुनः संशोधन करने हेतु भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद्, केंद्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से एतद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाती है, नामतः-

1. (i) इन विनियमों को “प्रतिवर्ष एम.बी.बी.एस. में 250 दाखिलों के लिए न्यूनतम शर्तें विनियमावली, (संशोधन) 2018” कहा जाएगा।
- (ii) ये, सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
2. “प्रतिवर्ष एम.बी.बी.एस. में 250 दाखिलों के लिए न्यूनतम शर्तें विनियमावली, 1999” में निम्नलिखित अधिवर्धन/संशोधन/विलोप/प्रतिस्थापन इसमें दर्शाए गए अनुसार किए जाएंगे:-
3. खंड ख.1.1, के पश्चात, निम्नलिखित “टिप्पणी” जोड़ी जाएगी :-

टिप्पणी: “बिस्तर अधिभोग (अन्तरंग रोगी) और बहिरंग रोगी विभाग उपस्थिति में 5% की सीमा तक छूट, इस शर्त के अधीन प्रदान की जा सकती है कि पिछले तीन महीने के मूल्यांकन की तारीख के अनुसार तीन तदनुसूची तारीखों पर बिस्तर अधिभोग और बहिरंग रोगी विभाग उपस्थिति, लागू होने वाले मापदंडों के अनुसार हैं।”

4. खंड ख.1.7, के पश्चात, निम्नलिखित “टिप्पणी” जोड़ी जाएगी :-

टिप्पणी: “बिस्तर अधिभोग (अन्तरंग रोगी) और बहिरंग रोगी विभाग उपस्थिति में 5% की सीमा तक छूट, इस शर्त के अधीन प्रदान की जा सकती है कि पिछले तीन महीने के मूल्यांकन की तारीख के अनुसार तीन तदनुसूची तारीखों पर बिस्तर अधिभोग और बहिरंग रोगी विभाग उपस्थिति, लागू होने वाले मापदंडों के अनुसार हैं।”

5. खंड ख.1.8, के पश्चात, निम्नलिखित “टिप्पणी” जोड़ी जाएगी :-

टिप्पणी: “बिस्तर अधिभोग (अन्तरंग रोगी) और बहिरंग रोगी विभाग उपस्थिति में 5% की सीमा तक छूट, इस शर्त के अधीन प्रदान की जा सकती है कि पिछले तीन महीने के मूल्यांकन की तारीख के अनुसार तीन तदनुसूची तारीखों पर बिस्तर अधिभोग और बहिरंग रोगी विभाग उपस्थिति, लागू होने वाले मापदंडों के अनुसार हैं।”

6. 250 दाखिलों के लिए “भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 की धारा 10-क के अंतर्गत नये मेडिकल कालेजों की स्थापना और वार्षिक नवीकरणों के लिए आशय पत्र और अनुमति पत्र प्राप्त करने हेतु आवेदक कालेजों द्वारा पूरी की जाने वाली चरण-वार शर्तें” में, प्रथम सारणी के पश्चात निम्नलिखित “टिप्पणी” जोड़ी जाएगी :-

टिप्पणी: “बिस्तर अधिभोग (अन्तरंग रोगी) और बहिरंग रोगी विभाग उपस्थिति में 5% की सीमा तक छूट, इस शर्त के अधीन प्रदान की जा सकती है कि पिछले तीन महीने के मूल्यांकन की तारीख के अनुसार तीन तदनुसूची तारीखों पर बिस्तर अधिभोग और बहिरंग रोगी विभाग उपस्थिति, लागू होने वाले मापदंडों के अनुसार हैं।”

डॉ. संजय श्रीवास्तव, महासचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./526/18]

पाद टिप्पणी : प्रधान विनियमावली, नामतः “प्रतिवर्ष एम.बी.बी.एस. में 250 दाखिलों के लिए न्यूनतम शर्तें विनियमावली, 1999” भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् की दिनांक 30 मार्च, 1999 की अधिसूचना संख्या 35(1)/1998-मेड. (ii) के अंतर्गत दिनांक 29 अप्रैल 1999 को भारत के राजपत्र के भाग III, खंड 4 में प्रकाशित की गई थी और इसे

भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् की दिनांक 20.10.2008, 01.12.2008, 13.11.2009, 18.01.2010, 30.01.2010, 26.02.2010, 17.09.2010, 03.11.2010, 18.03.2014, 01.07.2015, 27.01.2017, 09.03.2017, 23.08.2017 और 22.01.2018 की अधिसूचनाओं के अंतर्गत संशोधित किया गया था।

AMENDMENT NOTIFICATION

New Delhi, the 4th February, 2019

No. MCI-34(41)/2018-Med./170042.—In exercise of the powers conferred by Section 33 of the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956), the Medical Council of India with the previous sanction of the Central Government, hereby makes the following Regulations to further amend the “Minimum Requirement for 250 MBBS Admissions Annually Regulation, 1999”, namely: -

1. (i) These Regulations may be called the “Minimum Requirement for 250 MBBS Admissions Annually Regulation, 2018”.

(ii) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the “Minimum Requirement for 250 MBBS Admissions Annually Regulation, 1999”, the following additions/modifications/ deletions/substitutions, shall be, as indicated therein: -

3. After Clause B.1.1., following “Note” shall be added as under:-

Note: “Relaxation up to an extent of 5% in bed occupancy (Indoor patients) and OPD attendance may be allowed, subject to the condition that the bed occupancy and OPD attendance on three corresponding dates as per date of assessment of preceding three months is in accordance with the applicable norms

4. After Clause B.1.7, following “Note” shall be added as under:-

Note: “Relaxation up to an extent of 5% in bed occupancy (Indoor patients) and OPD attendance may be allowed, subject to the condition that the bed occupancy and OPD attendance on three corresponding dates as per date of assessment of preceding three months is in accordance with the applicable norms.”

5. After Clause B.1.8, following “Note” shall be added as under:-

Note: “Relaxation up to an extent of 5% in bed occupancy (Indoor patients) and OPD attendance may be allowed, subject to the condition that the bed occupancy and OPD attendance on three corresponding dates as per date of assessment of preceding three months is in accordance with the applicable norms.”

6. In the “Phase wise Requirements to be fulfilled by the Applicant Colleges for obtaining Letter of Intent and Letter of Permission for Establishment of the new Medical Colleges and Yearly Renewals under Section 10-A of the Indian Medical Council Act, 1956” for 250 admissions, the following “Note” shall be added after the first table as under:-

Note: “Relaxation up to an extent of 5% in bed occupancy (Indoor patients) and OPD attendance may be allowed, subject to the condition that the bed occupancy and OPD attendance on three corresponding dates as per date of assessment of preceding three months is in accordance with the applicable norms.”

Dr. SANJAY SHRIVASTAVA, Secy. General

[ADVT. -III/4/Exty./526/18]

Foot Note: The Principal Regulations namely, “Minimum Requirement for 250 MBBS Admissions Annually Regulation, 1999” were published in Part III, Section 4 of the Gazette of India on the 29th April 1999, vide Medical Council of India Notification No.35(1)/1998-Med. (ii) dated the 30th March, 1999 and further amended vide MCI notification dated 20 October 2008, 1st December 2008, 13th November 2009, 18th January 2010, 30th January 2010, 26th February 2010, 17th September 2010, 3rd November 2010, 18th March 2014, 01st July 2015, 27 January 2017, 09 March 2017, 23 August 2017 & 22 January, 2018.